


फा.सं. 26/2/2015-सा.प्रशा.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक संख्या 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दिनांक 02 अप्रैल, 2018

शुद्धिपत्र

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को विभिन्न आउटसोर्स सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 20.03.2018 की समसंख्यक निविदा सूचना के खंड 1 के पैरा 4 और खंड-3 के पैरा 3.1 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं :

- (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग द्वारा जारी एमएससी प्रकयोरमेंट नीति में यथा-परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग के बोलीदाताओं या जो बोलीदाता केन्द्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग के पास पंजीकृत हैं, उन्हें अपनी बोलियों के साथ (जीएफआर 2017 के नियम 170 के अनुसार) धरोहर राशि जमा करने से छूट दी जाती है।
- (ii) बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 11.04.2016 (अपराह्न 3.00 बजे) की बजाय 11.04.2018 (अपराह्न 3.00 बजे) पढा जाए।
- (iii) डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की वैधता बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 06 (छः माह) की बजाय 03 (तीन माह) होनी अनिवार्य है।



(रागेश कांत)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24368785